

06/12/24

06/12/24

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्य 632/2024 अनवान डुगराराम वगैराह बनाम कुम्भाराम वगैराह


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की
तामिल मे जारी

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। आज बावजूद सूचना अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमेल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी मौजा पांचाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 655 रकबा 3.6907 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया मौजा पांचाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 655 रकबा 3.6907 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के नाम जारी हो रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

